तालिका नियन्त्रण के उद्देश्य

- पूँजी को अवरूद्व होने से रोकना।
- सामान्य राजस्व को लाभाँश का भुगतान करने से रोकना।
- बची हुयी पूँजी को अन्य कार्यो पर खर्च करना।
- राष्ट्रीय अर्थवयवस्था को मजबूत करना।
- सामग्री वहन मूल्य कम करना।
- उठाधरी में खर्च को कम करना।
- अप्रचलित होने तथा मूल्य में कमी होने को कम करना।
- आदेशित मूल्य को कम करना।

- **तालिका नियंत्रण** – तालिका नियंत्रण यह निर्धारित करने का एक योजनाबद्ध तरीका है कि क्या आदेश करना है कब आदेश करना है कितना आदेश करना है तथा कितना स्टॉक करना है जिससे कि उत्पादन तथा बिक्री में बिना अवरोध उत्पन्न किये बिक्री तथा भण्डारण से सम्बन्धित मूल्य उचित तथा तर्कसंगत है।

तालिका नियंत्रण मुख्यतः दो समस्याओ से निपटता है–

- 1 आदेश कब देना चाहिये
- 2 आदेश कितना देना चाहिये।
- तालिका नियंत्रण का उद्देश्य किसी उधोग द्वारा आवश्यक सामग्री के स्टॉक का उचित स्तर न्यूनतम मूल्य पर बनाये रखना है।

तालिका नियंत्रण की आधुनिक तकनीके –

- **ABC Analysis**
- **VED Analysis**
- **FSN Analysis**
- **Variety Reduction Analysis**

ABC विश्लेषण–

यह विश्लेषण सामग्री के मूल्य पर आधारित है। सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रेल्वे बोर्ड द्वारा भण्डार को निम्नानुसार वर्गीकृत कर उनकी सीमायें निर्धारित की गयी है।

A Category	रू0 49 लाख से अधिक वार्षिक उपयोग मूल्य	स्टॉक सीमा 3 माह की आवश्यकता से अधिक न हो
B Category	वार्षिक उपयोग मूल्य रू 49 लाख से 4.36 लाख तक	स्टॉक सीमा 6 की माह आवश्यकता से अधिक न हो
C Category	वार्षिक उपयोग मूल्य रू0 4.36 लाख तक	स्टॉक सीमा 12 माह की आवश्यकता से अधिक न हो
D Category	वह सभी भण्डार जो पिछले दो वर्षो से अधिक से जारी न किये गये हो।	(अधिशेष भण्डार)

ABC विश्लेषण के अन्तर्गत भंण्डार मदो को उनके मूल्य के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है–

कैटेगरी	स्टॉक किये गये आइटम की कुल संख्या का प्रतिशत	स्टॉक किये गये आइटम के कुल मूल्य का प्रतिशत
'A'	5%	70%
'B'	15%	20%
'C'	80%	10%

VED विश्लेषण –

यह विश्लेषण सामग्री के महत्व पर आधारित है। इसका अर्थ है Vital, Essential and Desirable इस विश्लेषण द्वारा सेवा स्तर तथा स्टॉक आऊट मूल्य को रोकने के अन्तर्गत भण्डार मद को Vital, Essential और Desirable के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है। VED विश्लेषण के अर्न्तगत उपकरण के कार्य तथा उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाती है। जिससे उच्च सेवा स्तर की प्राप्ति हो सके।

- **VITAL (महत्वपूर्ण) -** यह आइटम वह है जिनके बिना उपकरण कार्य करना बन्द कर देता है और उस आइटम की प्राप्ति के लिये कोई समय शेष नही होता है। उदाः– डीजल इंजन डीजल के बिना कार्य नही कर सकता।
- **ESSENTIAL (आवश्यक)–** यह आइटम वह है जिसके बिना उपकरण कार्य तो कर सकता है परन्तु उसकी दक्षता में कुछ कमी आ जाती है। तथा उस आइटम की प्राप्ति के लिये समय शेष होता है। उदाः– ग्रीस तथा ऑयल।
- **DESIRABLE (वांछनीय)** – यह आइटम वह है जिसके बिना उपकरण कार्य कर सकता है। उदाः– रेलगाड़ी में उपलब्ध अन्य सुविधायें।

उपरोक्त विश्लेषण स्टॉक उचित स्तर पर बनाये रखने के लिये अपनाया जाता है। तथा सामान्यतः यह आइटम के वार्षिक उपयोग मूल्य तथा महत्व पर आधारित है। इन आइटमो की स्थिति का मण्डल तथा मुख्यालय स्तर पर समय समय पर पुर्ननिर्धारण किया जाता है।

FSN विश्लेषण (fast slow and non moving) –

यह विश्लेषण सामग्री के उपयोग की गति पर आधारित है। यह विश्लेषण भी तालिका नियंत्रण की एक पद्धति है जिसके अन्तर्गत सामग्री का विश्लेषण उसके उपयोग की गति, मॉग की आवृति तथा उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत डिपो में स्टॉक किये हुए आइटमो का पूर्व उपयोग तथा उपभोक्ता द्वारा मॉग की आवृति के आधार पर FSN में वर्गीकृत किया जाता है। समाग्री की क्षतिपूर्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि slow तथा moving आइटम में अनावश्यक धन अवरूद्ध न हो।

- **FAST MOVING ITEMS** – इस श्रेणी में वह आइटम आते है जिनकी मॉगकर्ता की मॉग के पूरी करने के लिये मॉग तथा उपयोग नियमित,लगातार तथा त्वरित होती है तथा मॉगकर्ता की मॉग की पूर्ति के लिये जिनकी नियमित क्षतिपूर्ति होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन आइटमा की हर समय उपलब्धता बनी रहे तथा आइटम की मॉग के अनुरूप उसकी आपूर्ति बनी रहे।

- **SLOW MOVING ITEMS -** इस श्रेणी में वह आइटम आते है जिनका उपयोग कभी कभी किन्तु आवश्यक होता है। तथा उनकी आपूर्ति कम आवृति पर यदा कदा मॉग होने पर की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन आइटमो का अनावश्यक मात्रा में भण्डारण न किया जाये जिससे की लम्बे समय तक धन अवरूद्ध न हो।

- **NON MOVING ITEM** – इस श्रेणी में वह आइटम आते है जो पिछले 24 माह से इश्यू न किये गये हो तथा जिनकी निकट भविष्य में इश्यू होने की सम्भावना हो। जो आइटम पिछले 24 माह से इश्यू न हुये हो तथा अगले 24 माह से अधिक समय तक जिनके इश्यू होने की सम्भावना न हो डेड सरप्लस स्टोर्स कहलाते है। ऐसे आइटमो के आगे प्रावधान की कोई आवश्यकता नही होती है तथा डेड इन्वेनट्री से इनके निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

इनवैन्टरी पर आई लागत –इसमें निम्नलिखित बाते सम्मिलित है–

- वस्तु सूची की मदों का खरीद मूल्य।
- स्टॉक की खरीद में लगाये गए धन के ऊपर अनुमानित ब्याज।
- वह लाभॅश जो उस रकम से प्राप्त होता यदि उसे किसी अन्य फायदे के धंधे में लगाया जाता।
- अप्रचलन के कारण मूल्यद्रास।
- भण्डार सत्यापन पर किया गया खर्च।
- चोरी एवं अन्य नुकसान।

इन्वैटरी के खरीद मूल्य पर इन सभी मदो में खर्च होने वाला व्यय लगभग 20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक आता है। जिसे लागत निकालते समय इन्वैटरी के मूल्य में और जोड़ा जाता है।

<u>आदेश पर आई लागत</u> – खरीद अनुभाग पर होने वाले व्यय को दर्शाती है जिसमें सम्मिलित है

- मॉग पत्रों की जॉच।
- अधिक और अधिशेष एवं सरप्लस स्टॉक की लिस्ट से मिलान अथवा चेंकिग।
- इन्क्वायरी भेजकर कोटेशन मंगवाना और फिर उसका मूल्यांकन करना।
- आदेश भेजना एवं माल को प्राप्त करने की प्रगति पर ध्यान रखना अर्थात फर्म को अनुस्मारक वगैरह देना।
- माल प्राप्ति एवं उसकी जॉच।
- माल देने वाली फर्म को भुगतान की व्यवस्था करना।

चुँकि खरीद की विभिन्न पद्धतियॉ है, अतः प्रत्येक पद्धति की लागत एक दूसरे की लागत से भिन्न होती है।

मितव्ययी मात्रा आदेश –

वह मात्रा जो खरीद के कुल आदेश के कुल मूल्य को अत्यंत अल्प करने एवं वस्तु सूची के रख रखाव पर होने वाले खर्च को कम करने में सहायक हो, मितव्ययी मात्रा आदेश कहलाती है अर्थात कितनी मात्रा में खरीदा जाने वाला मूल्य की द्रष्टि से किफायती होगा।

- 1. खरीद आदेश दिये जाने तक के खर्च में निविदाएँ आमन्त्रित करना, कोटेशंस को प्रकिया में लाना कार्य की प्रगति पर होने वाले व्यय, माल की उठावाधरी, निरीक्षण, जॉच ढुलाई, प्राप्ति एवं बिलो के भुगतान के व्यय खरीद आदेश व्यय कहलाते है।
- 2. इन्वैटरी के रख रखाव पर होने वाले व्यय में खर्च की गई पूँजी का ब्याज भण्डार कक्ष व्यय, भण्डार, उठाया धरी, भण्डार सत्यापन, टूट फूट, मूल्यद्रास, चोरी, प्रशासन पर होने वाले व्यय एवं दूसरे सम्बन्धित परक्ष व्यय।

iMMIS- Integrated Materials Management Information System

MMIS to **iMMS** - This decentralized MMIS running on individual server in Zonal **Railways** is being integrated at CRIS (Centre for **Railway** Information Systems), New Delhi with the **iMMS** (Integrated Material Management System) web based application on central servers.

iMMS Application is the Application Software for Materials Management Department of Indian Railways for online activities for Procurement of Goods by Headquarters/Stocking Depots, Receipt and Issue of materials at Stocking Depots and Sale of Materials using E-Tendering, E-Auction and Reverse Auction of Indian Railways E-Procurement System (IREPS). The application allows users to capture or generate data at various levels of the Materials Management process in a secure manner using various security features like digital signature, digital encryption certificate for encryption and decryption of data etc. The application can be accessed with valid user ID and Password in combination with a Digital Signing Certificate. The application is divided in different work areas depending upon the nature of activity viz. HQ Module, Depot Module, Auction Sale Module, Purchase Module for Depot/Division etc. This document describes processes related to HQ Module only.

TO COMPUTERIZE VARIOUS MATERIAL MANAGEMENT ACTIVITIES AT THE END OF USER DEPOTS I.E. CONSIGNEES. THIS WILL ENABLE AUTHORIZED USER FOR:

- Creation of Computerized Ledgers & DMTRs (Daily Material Transaction Reports) for recording receipt & issue transactions by authorized Users.
- Receipt of Stores by User Depots/Consignees against Purchase Orders/GeM Orders/Contracts wherein material to be delivered directly to Consignees, against Cash Purchase/Imprest, from Shops, from Other User Depots/Consignees on Loan/Assistance basis, from other Field Units, against Book Transfer within same User Depot, from Stores Depots against S-1313 (Combined Requisition-cum-Issue Note) / S-1830 (Imprest Issues) / Non-Stock R-Notes/ Sale Issue Notes.
- Issue of material to End User, to other User Depots/Consignees on Assistance/Loan basis, to Contractors, on Book Transfer within same User Depot, to Stores Depots on Advice Note, to Purchasers for Scrap Deliveries etc.
- Placing Requisitions on Stores Depots for Stock Items (S-1313 as well as Imprest Demands)
- Placing Demands on User Depots/Consignees, Issue Note, Gate Pass, Adjustment Memo etc.

- Transacting with Non-Computerized User Depots/Consignees w.r.t. receipt & issue of material.
- SMS alert to Stock Holder if Stock falls below Threshold Limit defined by user
- Integration of payment activities on IPAS with digitally signed Consignee Receipt Note (CRN) / Consignee Receipt Certificate (CRC) being generated in UDM, once it is decided to do so.
- Rejection Handling - both Initial Rejection as well as Warranty Rejection
- Stock Verification (Accounts / Departmental) & Stock Sheet Management
- Accessing several MIS/Exception Reports
- Real time information exchange among various stake-holders leading to enhanced operational efficiency, economy and transparency.